

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

**Memorandum of Understanding Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA**

Signed at Washington December 17, 2019

Entered into force December 17, 2019



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE U.S. GEOLOGICAL SURVEY
OF THE
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
AND THE
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
OF THE
REPUBLIC OF INDIA
CONCERNING
SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
IN THE FIELD OF WATER RESOURCES

ARTICLE I. SCOPE AND OBJECTIVES

1. The Parties to this Memorandum of Understanding (MOU) are the U.S. Geological Survey of the Department of the Interior of the United States of America (hereinafter "USGS") and the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti of the Republic of India (hereinafter "DoWR, RD & GR"). The USGS and the DoWR, RD & GR (hereinafter "Party" or "Parties") hereby agree to pursue scientific and technical cooperation in the field of water resources.

2. This MOU shall be subject to and governed by the Agreement on Science and Technology Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India (hereinafter "S&T Agreement").

ARTICLE II. COOPERATIVE ACTIVITIES

1. Forms of cooperation under this MOU may consist of exchanges of technical information, visits, training, and cooperative research consistent with ongoing programs of the Parties. The specific areas of cooperation may include, but are not limited to, such areas of mutual interest as:

- i. River Basin Management/Integrated Water Resources Management.
- ii. Collaboration in the field of use of modern technology and scientific knowledge for efficient use of water and developing appropriate decision support system.
- iii. Flood management and forecasting.
- iv. Promoting water management, water quality issues and waste water recycling and re-use through innovative concession arrangements.
- v. Capacity building including laboratory testing and instrumentation.
- vi. Any other mutually agreed areas as decided by Parties.

2. Activities under this MOU shall be undertaken in accordance with the laws, regulations, and procedures of each Party.

3. The Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of direct contacts and cooperation among government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of the two countries.

4. Each Party may, with the consent of the other Party and to the extent permitted by the laws and policies of each Party's Government, invite other government entities or agencies of the United States and India, and other entities, including scientists, technical experts, governmental agencies, and institutions of third countries or international organizations, to participate in activities undertaken pursuant to this MOU, subject to such terms and conditions as the Parties may specify.

ARTICLE III. AVAILABILITY OF RESOURCES

Cooperative activities under this MOU shall be subject to the availability of personnel, resources, and appropriated funds. This MOU shall not be construed to obligate any particular expenditure or commitment of resources or personnel. In accordance with Article VIII below, the Parties shall agree in writing upon specific Project Annexes before the commencement of any activity pursuant to this MOU.

ARTICLE IV. FEE AND TAX EXEMPTION

Consistent with its laws and regulations, each Party shall work toward obtaining, on behalf of the other Party, relief from taxes, fees, customs duties, and other charges (excluding fees for specific services rendered) levied with respect to the import, export, purchase, ownership, use, or disposition of goods (including personal property) and services by or on behalf of the other Party in support of activities under this MOU.

ARTICLE V. INTELLECTUAL PROPERTY AND SECURITY OBLIGATIONS

Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this MOU shall be governed by Annex I of the S&T Agreement. Provisions for the protection of classified information and unclassified export-controlled information and equipment shall be governed by Annex II of the S&T Agreement.

ARTICLE VI. DISCLAIMER

Information transmitted by one Party to the other Party under this MOU shall be accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party, but the transmitting Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any particular use or application by the receiving Party or by any third Party.

ARTICLE VII. PLANNING AND REVIEW OF ACTIVITIES

Each Party shall designate a principal representative who, at such times as are mutually agreed upon by the Parties, shall meet to review the activities under this MOU and develop proposals for future activities, as appropriate.

ARTICLE VIII. PROJECT ANNEXES

Any activity carried out under this MOU shall be agreed upon in advance by the Parties in writing. Whenever more than the exchange of technical information or visits of individuals are contemplated, such activity shall be described in an agreed Project Annex (PA) to this MOU, which shall set forth in terms appropriate to the activity: a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding sources, and other undertakings, obligations, or conditions not included in this MOU. In case of any inconsistency between the terms of this MOU and the terms of a PA, the terms of this MOU shall control.

ARTICLE IX. ENTRY INTO FORCE, TERMINATION, AND AMENDMENT

1. This MOU shall enter into force upon its signature and shall remain in force for a period of ten (10) years and shall be automatically extended thereafter for successive periods of five (5) years, unless either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this MOU in accordance with paragraph 2.

2. Either Party may terminate this MOU by providing ninety (90) days prior written notice to the other Party. Unless otherwise agreed, the termination of this MOU shall not affect the validity or duration of projects under this MOU that have been initiated prior to such termination. This MOU shall continue to apply to such projects until they are discontinued.



3. This MOU may be amended by mutual written agreement of the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Washington, D.C., December 17, 2019, in duplicate, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic.

FOR THE U.S. GEOLOGICAL
SURVEY OF THE DEPARTMENT OF
THE INTERIOR OF THE UNITED
STATES OF AMERICA

FOR THE DEPARTMENT OF WATER
RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT
AND GANGA REJUVENATION,
MINISTRY OF JAL SHAKTI OF THE
REPUBLIC OF INDIA



जल संसाधन के क्षेत्र में
वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग
के बारे में
संयुक्त राज्य अमरीका
के
डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर
के
संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
तथा
भारत गणराज्य
के
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
के मध्य
समझौता ज्ञापन

अनुच्छेद-1. कार्य- क्षेत्र और उद्देश्य

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर का संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जिसे आगे 'यूएसजीएस' कहा गया है) और भारत गणराज्य का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (जिसे आगे "ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग" कहा गया है) इस समझौता ज्ञापन के पक्ष हैं। यूएसजीएस और ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग (जिन्हें आगे "पक्ष" अथवा "पक्षों" कहा गया है) एतद्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमत होते हैं।
2. यह समझौता ज्ञापन संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, यथा विस्तारित, करार (जिसे आगे "एस एंड टी करार" कहा गया है) के विषयाधीन होगा और इसके द्वारा शासित होगा।

अनुच्छेद-11. सहयोगी कार्यकलाप

1. इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के प्रकारों में तकनीकी सूचना विनिमय, दौरे, प्रशिक्षण और पक्षों के जारी कार्यक्रमों के अनुरूप सहकारी अनुसंधान शामिल हो सकते हैं। सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में

पारस्परिक हित के निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है-

- i. नदी बेसिन प्रबंधन/एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन
- ii. जल के दक्ष उपयोग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग तथा उपयुक्त निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करना।
- iii. बाढ़ प्रबंधन और पूर्वानुमान
- iv. जल प्रबंधन, जल गुणवत्ता मुद्दे और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं नवीन रियायती प्रबंधनों के माध्यम से पुनः उपयोग को बढ़ावा देना।
- v. प्रयोगशाला परीक्षण तथा यंत्रीकरण सहित क्षमता निर्माण।
- vi. पक्ष राज्यों द्वारा यथा निर्णित कोई अन्य आपसी सहमत क्षेत्र।

2. इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्यकलाप प्रत्येक पक्ष के कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाएंगे।

3. पक्ष सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, और दोनों देशों की अन्य संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्कों और सहयोग के विकास, जहां उचित हो, को प्रोत्साहित करेंगे और सुविधाजनक बनाएंगे।

4. इस समझौता ज्ञापन के अनुसार किए गए कार्यकलापों में भाग लेने के लिए, पक्षों द्वारा निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के विषयाधीन प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष की सहमति से और प्रत्येक पक्ष की सरकार के कानूनों और नीतियों द्वारा अनुमत सीमा तक, संयुक्त राज्य अमरीका और भारत की अन्य सरकारी संस्थाओं या एजेंसियों, और अन्य संस्थाओं, को आमंत्रित कर सकता है जिनमें वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी एजेंसियां, और तीसरे देशों के संस्थान अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो सकते हैं।

अनुच्छेद III. संसाधनों की उपलब्धता

इस समझौता ज्ञापन के तहत सहकारी कार्यकलाप कर्मियों, संसाधनों और विनियमित निधियों की उपलब्धता के विषयाधीन होंगे। यह समझौता ज्ञापन किसी भी विशेष व्यय या संसाधनों या कर्मियों की प्रतिबद्धता हेतु बाध्य करने वाला नहीं माना जाएगा। नीचे दिए गए अनुच्छेद VIII के अनुसार, पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अनुसार किसी भी कार्यकलाप के शुरू होने से पहले विशिष्ट परियोजना अनुबंधों पर लिखित में सहमत होंगे।

अनुच्छेद IV. शुल्क और कर छूट

अपने कानूनों और विनियमों के अनुरूप, प्रत्येक पक्ष करों, शुल्कों, सीमा-शुल्क, तथा आयात, निर्यात, खरीद, स्वामित्व, उपयोग अथवा इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्यकलापों की सहायतार्थ अन्य पक्ष द्वारा अथवा उसकी तरफ से माल (व्यक्तिगत संपत्ति सहित) निपटान तथा सेवाओं के संबंध में लगाए गए अन्य प्रभारों (प्रदान की गई विशिष्ट सेवा के शुल्कों को छोड़कर) से राहत पाने हेतु अन्य पक्ष की तरफ से कार्य करेगा।

अनुच्छेद V. बौद्धिक संपदा और सुरक्षा दायित्व

इस समझौता ज्ञापन के तहत सहकारी गतिविधियों के दौरान सृजित की गई या उपलब्ध कराई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और वितरण के प्रावधान एस एंड टी करार के अनुलग्नक-I द्वारा शासित होंगे। वर्गीकृत सूचना और अवर्गीकृत निर्यात-नियंत्रित सूचना और उपकरणों की सुरक्षा के प्रावधान एस एंड टी करार के अनुलग्नक-II द्वारा शासित होंगे।

अनुच्छेद VI. अस्वीकरण

इस समझौता ज्ञापन के तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रेषित सूचना प्रेषणकर्ता पक्ष के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही होगी, लेकिन प्रेषणकर्ता पक्ष प्राप्तकर्ता पक्ष या किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी विशेष उपयोग या अनुप्रयोग के लिए प्रेषित जानकारी की उपयुक्तता की गारंटी नहीं देता है।

अनुच्छेद VII. कार्यकलापों की आयोजना और समीक्षा

प्रत्येक पक्ष एक प्रधान प्रतिनिधि को नामित करेगा, जो पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सम्मत समय पर, इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्यकलापों की समीक्षा करने और, यथोचित, भावी कार्यकलापों हेतु प्रस्तावों को विकसित करने के लिए बैठक करेगा।

अनुच्छेद VIII. परियोजना अनुलग्नक

इस समझौता ज्ञापन के तहत चलाई गई किसी भी गतिविधि के बारे में पक्षों द्वारा लिखित में अग्रिम रूप से सहमति बनाई जाएगी। जब भी तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान या व्यक्तियों के दौरे से अधिक विचार किया जा रहा हो, तब ऐसी गतिविधि का उल्लेख इस समझौता ज्ञापन से जुड़े एक सम्मत परियोजना अनुलग्नक (पीए) में किया जाएगा, जिसमें कार्यकलाप के लिए उपयुक्त निबंधन उल्लिखित होंगे: एक कार्य योजना, स्टार्फिंग आवश्यकताएं, लागत अनुमान, वित्तपोषण स्रोत, और अन्य वचन, दायित्व, या शर्तें जिनको इस समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। इस समझौता ज्ञापन के निबंधनों और पीए के निबंधनों के बीच किसी भी असंगतता के मामले में, इस समझौता ज्ञापन के निबंधन नियंत्रणकारी होंगे।

अनुच्छेद IX. प्रवृत्त, समाप्ति, और संशोधन


1. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से प्रवृत्त होगा और दस (10) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा और तत्पश्चात अगले पांच (5) वर्षों की लगातार अवधियों के लिए स्वचालित रूप से विस्तारित होता जाएगा, जब तक कि कोई भी पक्ष पैराग्राफ के अनुसार 2इसे समाप्त करने के अपने इरादों के बारे में लिखित रूप में अन्य पक्ष को सूचित न करे।

2. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को नब्बे (90) दिन पहले लिखित नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। जब तक कि अन्यथा सहमति न हो जाए, इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से ऐसी परियोजनाओं की वैधता अथवा अवधि प्रभावित नहीं होगी, जिन्हें इसकी समाप्ति से पहले शुरू किया गया है। यह समझौता ज्ञापन ऐसी परियोजनाओं पर तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उन्हें समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

3. इस समझौता ज्ञापन को पक्षों के आपसी लिखित करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किए जाने वाले अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

हिन्दी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषा में दो प्रतियों में वाशिंगटन, डी. सी. में दिसम्बर 17, 2019 को किए गए, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका के इंटीरियर विभाग
के द यूएस जिओलॉजिकल सर्वे की ओर से



भारत गणराज्य के जल संसाधन, नदी
विकास और गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, की ओर से

